

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक: 055 /
सेवा में,

दिनांक, कासमंज, अक्टूबर
एटा

24-10-2018

✓ वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक 839/उरई अलीगढ़ - लाइन (2.8256 हे0)/26448/2017 दिनांक 17.10.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु 2 एन0पी0वी0 की दण्डात्मक गणना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार ब्याज का समावेश कर रिपोर्ट संलग्नकर प्रेषित है:-

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि-वन संरक्षक, ब्रज भूमि क्षेत्र आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।